निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 18/2022 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री बंशी लाल ग्राम सांवतसर, तहसील डूंगरगढ, जिला बीकानेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 49 घरेलू गैस सिलेण्डर (23 एच.पी.सी. एवं 26 बी.पी.सी.) मय एलपीजी 422.700 किलोग्राम, 4 विद्युत मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर मय वॉल्व एवं वायर, 03 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 09 बांसुरी (4 पीतल की निप्पल बांसुरी व 5 लोहे की निप्पल बांसुरी) लोहे के पेचकस को साजसात (Confiscate) करने बाबत।

उपस्थितः– विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 28.01.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण एवं रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 28.06.2022 को एयरपोर्ट के गेट नम्बर 1 के सामने, एयरपोर्ट रोड के पीछे स्थित शिव कालोनी में खाली प्लॉट में घरेलू गैस के वाहनो में अवैध रूप से भरने की जांच की गई। परिसर की जांच करने 49 घरेलू गैस सिलेण्डर (23 एच.पी.सी. एवं 26 बी.पी.सी.), 4 विद्युत मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर मय वॉल्व एवं वायर, 03 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 09 बांसुरी (4 पीतल की निप्पल बांसुरी व 5 लोहे की निप्पल बांसुरी) लोहे का पेचकस पाये गये। परिसर में टीन शेड के नीचे दो इलेक्ट्रोनिक कांटा पर दो घरेलू सिलेण्डर दो विद्युत मोटरो से नली व गैस रिफलर रेग्यूलेटर व वॉल्व से जुडे पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है, जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.06.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।
3. बहस पैराकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि एयरपोर्ट के गेट नम्बर 1 के सामने, एयरपोर्ट रोड के पीछे स्थित शिव कालोनी में खाली प्लॉट में जांच करने 49 घरेलू गैस सिलेण्डर (23 एच.पी.सी. एवं 26 बी.पी.सी.), 4 विद्युत मोटर मय

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पाईप व रेग्यूलेटर मय वॉल्व एवं वायर, 03 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 09 बांसुरी (4 पीतल की निप्पल बांसुरी व 5 लोहे की निप्पल बांसुरी) लोहे का पेचकस पाये गये। परिसर में टीन शेड के नीचे दो इलेक्ट्रोनिक कांटा पर दो घरेलू सिलेण्डर दो विद्युत मोटरो से नली व गैस रिफलर रेग्यूलेटर व वॉल्व से जुड़े पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है। मौके पर मैसर्स आलोक भारत गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि को सॉल्टर मशीन के साथ बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 422.700 किलो ग्राम एल॰पी॰जी॰ पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्ताशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 28.06.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किये गये। दौराने जांच 49 घरेलू गैस सिलेण्डर (23 एच.पी.सी. एवं 26 बी.पी.सी.) मय एलपीजी 422.700 किलोग्राम, 4 विद्युत मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर मय वॉल्व एवं वायर, 03 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 09 बांसुरी (4 पीतल की निप्पल बांसुरी व 5 लोहे की निप्पल बांसुरी) लोहे का पेचकस मिले। अप्रार्थी द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से थ्री–व्हीलर एवं वाहनो में गैस अन्तरण का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा विद्युत मोटर से घरेलू गैस सिलेण्डरर्स से एल.पी.जी. का अवैध स्थानान्तरण किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल॰पी॰जी॰ कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 49 घरेलू गैस सिलेण्डर (23 एच.पी.सी. एवं 26 बी.पी.सी.) मय एलपीजी 422.700 किलोग्राम, 4 विद्युत मोटर मय पाईप व रेग्यूलेटर मय वॉल्व एवं वायर, 03 इलेक्ट्रोनिक कांटा, 09 बांसुरी (4 पीतल की निप्पल बांसुरी व 5 लोहे की निप्पल बांसुरी) लोहे के पेचकस को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 29.06.2022 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner